

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 21/15 वैवाहिक

श्रीमती फूलवती पुत्री सीताराम पत्नी
छविराम आयु 21 वर्ष जाति प्रजापति
निवासी वार्ड नं01 छत्तरपुरा गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

बनाम

छविराम पुत्र मूंगाराम आयु 23 वर्ष जाति
प्रजापति निवासी श्रीकृष्ण नगर अटेर रोड
भिण्ड म0प्र0

----- अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता
अनावेदक द्वारा श्री जी0एस0निगम अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 29-10-15 को पारित किया गया //

1- आवेदकगण/याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की याचना की है।

2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती फूलवती (जो कि आवेदन पत्र में आवेदिका के रूप में वर्णित किया गया है) एवं छविराम (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदक के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह 13 जुलाई 2013 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार वार्ड नं01 छत्तरपुरा गोहद जिला भिण्ड में सम्पन्न हुआ था। पक्षकार क्रं01 एवं पक्षकार क्रं02 का शादी के बाद से ही मनमुटाव एवं दोनों के मध्य लड़ाई झगडा होते रहे और

उनके मध्य जीवन जीने की संभावना नहीं रही । आवेदिका व अनावेदक के मध्य समाज के व्यक्तियों एवं माता पिता के बीच में बैठकर पंचायत भी हुयी और पंचायत में शादी में उसके पिता के द्वारा दिया गया दान दहेज अनावेदक पक्ष के द्वारा वापिस कर दिया गया तथा अनावेदक के द्वारा भरण पोषण के रूप में पंचायत के माध्यम से नगद राशि दी गई है। दोनों के मध्य भविष्य में दाम्पत्य जीवन सही ढंग से न चलने के कारण दोनों के माता पिता की सहमति से पंचायत में निर्णय हुआ कि दोनों प्रथक प्रथक रहकर निवास करेंगे । आवेदिका की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0 चल रहा है उसमें दिनांक 25-4-15 को सुलह समझौता पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निरस्त करा लिया है और भविष्य में एक दूसरे के प्रति अन्य किसी प्रकार के मामले संचालित नहीं करेंगे । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र दिनांक 25-04-15 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में सम्पन्न हुये विवाह दिनांक 13 जुलाई 2013 को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है । ।

3- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 29-4-15, 15-7-15, 25-9-15, 26-10-15, 28-10-15, 29-10-15 के उपरांत आगामी तिथि नियत की गयी उक्त नियत तिथियों में भी पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के संबंध में संभावना तलाशी गयी किन्तु उनके बीच किसी प्रकार का सुलह होने के आसार होने नहीं पाये गये ।

4- वर्तमान याचिका पेश होने के उपरांत छः माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार क्रं01 श्रीमती फूलवती एवं पक्षकार क्रं02 छविराम को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया । पक्षकारों के मध्य हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार क्रं02 छविराम की पक्षकार क्रं01 श्रीमती फूलवती विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । इस संबंध में पक्षकारों के द्वारा शपथपत्र भी पेश किये गये हैं । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमती, समझौते और उनके आपस में साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं

होती है । पक्षकार करीब दो वर्ष से अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उनके मध्य अब कोई लेन देन नहीं है अनावेदक के द्वारा आवेदिका को भरण पोषण की राशि की व्यवस्था न्यायालय के बाहर अदा कर दी है जिसे कि आवेदिका ने स्वीकार किया है ।

6— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमती के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :—

1—आवेदिका पक्षकार क्रं01 श्रीमती फूलवती तथा छविराम पक्षकार क्रं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 13 जुलाई 2013 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2—उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3—उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड